न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 24/2013 निर्णय दिनांकः– 8-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2013/00051)

1. श्रीमती मोहनीदेवी पुत्री रामलाल धर्मपत्नी हाउलाल जाति सुनार निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल मेडता सिटी जिला नागौर। (मृतक)
1/1 मूलचंद पुत्र मोहनीदेवी

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. शंकरलाल पुत्र बीरबल जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
रामधन पुत्र बीरबल जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
बीरबल पुत्र हरभजन जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर। (मृतक)
3/1 हरदेवी पत्नी बीरबल
3/2 शंकरलाल पुत्र बीरबल
3/3 रामधन पुत्र बीरबल
3/4 धनराज पुत्र बीरबल
3/5 श्रवण पुत्र बीरबल
3/6 गवरा पुत्री बीरबल
3/7 झनकारी पुत्री बीरबल
3/8 परमा पुत्री बीरबल
4. हेमाराम पुत्र हरभजन जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. रामजस पुत्र हरभजन जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. मामराज पुत्र हरभज जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. रामूराम पुत्र हरभज जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. मु. लाल पुत्री हरभज जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. मु. नवली पुत्री हरभज जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. किशनाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

11. दोलाराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
12. भजनाराम पुत्र फुसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
13. पतराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. सीताराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
15. मु. पिरोजा पुत्री फूसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
16. लिछमण पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—रेस्पोडेन्टस

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 25—03—2004
उपखण्ड अधिकारी, नोखा।

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 11 ता 14
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, अभिभाषक राजकीय

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 25—03—2002 जिसके द्वारा अपीलांटस का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटा का दावा अंतर्गत धारा 88, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्अ हर तरह से श्रवण योग्य होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा उसे अनुचित रूप से रिजक्ट कर दिया गया। उक्त दावे में आर्डर 7 रूल 11 जाब्ता दिवानी के प्रावधान किसी भी सूरत में लागू न होते हुए भी उसे लागू होना मानते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए दावा वादिनी रिजेक्ट किया गया। उक्त दावे में प्रतिवादी के द्वारा बिना कोई जवाबदावा प्रस्तुत किये बिना ही एक सरसरी दरख्वास्त इस आशय की प्रस्तुत की गई कि, वादानी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने से बार्ड बाई लॉ की तारीफ में आता है इस तरह प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी कहीं अंकित नही है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के किस प्रावधान के तहत उक्त दावा वादिनी पिरित है वेग व अस्पष्ट प्रार्थनापत्र के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय व डिक्री जैर अपील के तहत दावा वादिनी रिजेक्ट किया है वो सही नहीं है। उक्त दावा धारा 92 आटीए के अन्तर्गत खारिज किया गया है। अतः उक्त दावा कानून से परे जाकर खारिज किया गया है। निर्णय में जिन नजीरात का हवाला दिया गया है व नजीरात मामले हाजा में कतई लागू नहीं होते है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे अपनी बहस में बताया कि जवाबदावा पेश होने के पश्चात् तनकीहात बरामद होनेके बाद उन बरामद तनकीहात में कानूनी तनकीहात पर बहस सुनी जाकर प्रकरण तय किये जाने के प्रावधान है। अदालत मातहत ने उक्त कानूनी स्थिति पर अपना माईण्ड एप्लाई किये बिना ही व वादिनी के अभिभाषक की तरफ से जो बहस की गई थी व जो नजीराम प्रस्तुत किये गये थे उसका हवाला तक दिये बिना ही वादिनी से प्रिज्यूडीस होकर निर्णय व डिक्री जैर अपील जो पारित किया गया है अतः उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2010 II पेज 1141, आरआरटी 2011 I पेज 100 और 427, आरआरटी 2013 पेज 685, एआईआर 1983 सुर्पीम कॉर्ट पेज 365, 1987 सुर्पीम कॉर्ट पेज 1353, आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि धारा 92 वहां लागू होती है जहा दावे मे वादग्रस्त भूमि एकाधिक भूमि हो, एक दावा पेश हो बशर्ते पक्षकार समान हो, उक्त प्रकरण में भिन्न भिन्न दावा पेश हुआ जमीन अलग थी। पक्षकार अलग–अलग थे। अदालत मातहत के समक्ष वादिनी ने प्रार्थना पत्र किन प्रावधानों के तहत पेश किया अपने प्रार्थना पत्र पर कही भी उल्लेखित निहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स का दावा खारिज किया है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर, खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्कोप अत्यंत सीमित होता है। इसमें वादपत्र में अभिकथनों के सही होने की अभिधारणा कर प्रार्थना पत्र पर विनिश्चय किया जाता है।

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न आर्डर 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। आर्डर 7 रूल 11 के प्रार्थना–पत्र में केवल यह अभिलिखित है कि दावा विधि द्वारा बाधित है प्रार्थना–पत्र में इस तथ्य का उल्लेख ही नहीं है कि दावा विधि के कौनसे प्रावधानों के तहत विधि द्वारा बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपूर्ण प्रार्थना–पत्र के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 92 आरटीए के तहत **विधि द्वारा वर्जित** मानकर वाद वादी खारिज किया गया है।

धारा 92 आरटीए पर गौर करना भी उचित होगा– **धारा 92 आटीए– कई भूमि क्षेत्रों के संबंध में एक ही दावा– कई भूमि क्षेत्रों के संबंध में धारा 88 या धारा 90 के प्रावधानों के अर्न्तगत एक ही दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा बशर्ते कि पक्षकार वहीं हो।**

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलाधीन अराजी पूर्व में लक्ष्मण पुत्र रामलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जमाबंदी व गिरदावरी संवत 2005, 2014 का अवलोकन से यह तथ्य साबित है।

प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि लक्ष्मण के नाम दर्ज यह प्रश्नगत अराजी बाद में अलग–अलग व्यक्तिया/रेस्पोडेन्टस् के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई। अपीलांटा द्वारा लक्ष्मण पुत्र रामलाल की बहिन व एकमात्र वारिस होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश किया था। इससे स्पष्ट है कि यह वाद लक्ष्मण पुत्र रामलाल के नाम दर्ज आराजी बाबत किया गया था। यह सम्पूर्ण आराजी लक्ष्मण के नाम दर्ज थी। जो कि बाद में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुई। इस स्थिति में प्रश्नगत आराजी एक ही भूमि थी, अनेक भूमियॉ नही। अतः इस पर धारा 92 के प्रावधान लागू करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। यदि अलग अलग म्युटेशन के आधार पर अलग–अलग वाद प्रस्तुत किये जाते है तो

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समान प्रकृति के प्रकरण में निर्णय भिन्नता की संभावना रहती है साथ ही न्याय निर्णयन में बाधा उत्पन्न होती है।

आदेश 7 नियम 11 का प्रश्न विधि व तथ्य का संयुक्त प्रश्न हे। इसका निर्धारण जवाब दावा पेश होने के पश्चात तनकियात कायम कर जरिये साक्ष्य ही किया जा सकता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों की सकारण व तार्किक विवेचन नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जोकि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आने से निरस्त योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जवाबदावा लेकर, तनकियात कायम कर जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर उसका निर्णय करे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

8. निर्णय आज दिनांक 8-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर